

राजस्थान सरकार  
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए / IFMS/ Automation of bills/

4355-4754

दिनांक 09/06/2022

परिपत्र

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से संबंधित दावों यथा राज्य बीमा/जीपीएफ ऋण/आहरण/स्वत्व आदि जो एस.आई.पी.एफ. पोर्टल से जारी होते हैं, का भुगतान संबंधित कोषालय के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से केन्द्रीयकृत रूप से कोषालय जयपुर शहर से किये जायेंगे। केन्द्रीयकृत भुगतानों को चरणबद्ध रूप से राजस्थान स्टेट कोषालय से जोड़ा जायेगा।

उक्त भुगतानों की जाँच व शुद्धता का उत्तरदायित्व स्वीकृति स्तर पर ही राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बद्ध प्राधिकृति का होगा। कोषालय स्तर पर भुगतान ऑटो पास प्रक्रिया से सम्बद्ध होंगे।

**अधीक्ष**  
(सुधीर कुमार शर्मा)  
शासन सचिव, वित्त (बजट)

५३५५-५७५५  
०९/६/२०२२

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव।
3. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/ आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विरेष्ट शासन सचिव
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
9. विभागाध्यक्ष समस्त।
10. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
14. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
15. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु।
16. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
17. श्री आई.डी. वरियानी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर।
18. कोषाधिकारी, समस्त।
19. कोषाधिकारी जयपुर (शहर) को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु।

श्रीरामकृष्ण  
संयुक्त शासन सचिव